Telesonic Networks Ltd.
3 rd & 4th Floor,Scheme No. 54
A B Road, Metro Tower,
Near Vijay Nagar Square,
Indore (M.P.)-452010

www.airtel.in
Call+ 91 731 4222555

airtel

प्रति,

दिनांक :– 07/06/2022

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले के अंतर्गत Telesonic Networks Ltd. द्वारा मण्डला–बैहर–सालेटेकरी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ Border Route में ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने हेतु 0.538 हैक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/149091/2021)

सन्दर्भः– क्रमांक/मावि 1/2085 बालाघाट, दिनांक 31.05.2022

अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन–पत्र संलग्न दिया जा रहा है–

अधिरोपित शर्त– **पालन प्रतिवेदन –**

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात वह भूमि आरक्षित/संरक्षित वन ही रहेगी तथा उक्त वन भूमि पर अधिपत्य वन विभाग का ही होगा।	1.	मान्य है
2.	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा भूमि के प्रयोजन में बगैर पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।	2.	मान्य है
3.	व्यपवर्तित वन पर उपलब्ध मार्ग के किनारे–किनारे राईट ऑफ वे (Right of Way) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा उपरोक्त दर्शित लम्बाई व दर्शित चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।	3.	मान्य है
4.	भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन सड़क के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर राईट ऑफ वे (Right of Way) में उपरोक्त प्रपत्र में दर्शित निर्धारित चौड़ाई में ही डालने कार्य किया जावे। यदि अतिरिक्त चौड़ाई बढाई जाती है अथवा पाई जाती है तो अधिनियमों के अन्तर्गत आवेदक संस्था के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा।	4.	मान्य है
5.	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।	5.	मान्य है
6.	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/मुरूम पत्थर की आवश्यकता हो तो वह क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा। वनक्षेत्र के बाहर से मिट्टी लाकर समतलीकरण किया जायेगा।	6.	मान्य है
7.	वन क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध खुदाई या उत्खनन नहीं किया जावेगा।	7.	मान्य है
8.	खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा वृक्षों को एवं वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा। न ही वन क्षेत्र/वन सम्पदा को नुकसान पहुँचाया जायेगा।	8.	मान्य है

TELESONIC NETWORKS LTD.

Telesonic Networks Ltd.
3 rd & 4th Floor,Scheme No. 54
A B Road, Metro Tower,
Near Vijay Nagar Square,
Indore (M.P.)-452010

www.airtel.in
Call+ 91 731 4222555

airtel

9.	आवेदनकर्ता विभाग/संस्थान उपरोक्त प्रभावित वनभूमि तथा उसके चारो ओर क्षेत्र में स्थित जीव–जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगे तथा इनको संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगें।	9.	मान्य है
10.	वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेगें एवं सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा वनभूमि के आसपास कोई भी प्लान्ट/मशीनरी नहीं लगाई जावेगी।	10.	मान्य है
11.	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगा।	11.	मान्य है
12.	प्रस्तावित कार्य में प्रभावित वन भूमि अहस्तांतरणीय रहेगी। प्रस्तावित क्षेत्र में भूमिगत फाईबर केबल लाईन हेतु ट्रेंच की खुदाई मैनुअली (श्रमिकों से) की जावेगी। जे.सी.बी. मशीन से वनक्षेत्र में खुदाई करना आवश्यक हो तो वनक्षेत्र में पहले चूने से सीमांकन कार्य कर लेवें यदि सीमालाईन से 1 मीटर दूरी में कोई वृक्ष ना आ रहे हो तो ही जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदाई कार्य वृक्षों को क्षति पहुचाये बगैर किया जा सकता है।	12.	मान्य है
13.	भूमिगत फाईबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के प्रारंभ एवं समाप्ति की अवधि सूचित की जावें।	13.	मान्य है
14.	आवेदक संस्था वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन करेगें।	14.	मान्य है
15.	वन संरक्षण की दृष्टि से यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते आवेदक/आवेदक संस्थान को मान्य होगी एवं उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे। सम्बंधी इस आशय का लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करें।	15.	मान्य है

TELESONIC NETWORKS LTD.

Telesonic Networks Ltd.
3 rd & 4th Floor,Scheme No. 54
A B Road, Metro Tower,
Near Vijay Nagar Square,
Indore (M.P.)-452010

www.airtel.in
Call+ 91 731 4222555

airtel

16	प्रस्तावित मार्ग के राईट ऑफ वे (Right of Way) बगैर पूर्व औपचारिक स्वीकृति के किसी भी प्रकार से गैरवन की अथवा उत्खनन कार्य नहीं किया जावेगा। यदि उक्त क्षेत्र में या वन क्षेत्र अवैध खुदाई कार्य तथा शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।	16.	मान्य है
17	प्रस्तावित मार्ग के राईट ऑफ वे (Right of Way) से विचलन कर वन क्षेत्र के अंदर केबल बिछाने हेतु खंती खुदाई किया जाना पाया जाता है तो आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।	17.	मान्य है
18	प्रस्तावित मार्ग के राईट ऑफ वे (Right of Way) में यदि कोई वृक्ष आ रहे हो एवं विचलन की स्थिति निर्मित होती हो तो ऐसी स्थिति में वनक्षेत्र के अंदर विचलन न करते हुये पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।	18.	मान्य है
19	प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगा।	19.	मान्य है

उपरोक्त उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र मय हस्ताक्षर सहित आवेदक संस्थान द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है, अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

TELESONIC NETWORKS LTD.

Mr Devendra Arya

टेलीसोनीक नेटवर्कस लिमिटेड
3 फ्लोर मेट्रो टावर, नियर विजय
नगर, इन्दौर म.प्र.